राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9170/2023

राकेश यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी गली नं. 4, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता(ओं) के लिए प्रतिवादी: श्री कैलाश जांगिड़।

श्री एम.एस.शेखावत

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हर्षवर्द्धन सिंह,

श्री महावीर बिश्नोई, एएजी के लिए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>03/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2023 (अनुलग्नक 13) की शर्त संख्या 6.2 को रद्द करने और याचिकाकर्ता, जिसने प्रतिवादी-राज्य के लिए काउंसलर (एनसीडी)/जीएनएम के रूप में काम किया है, को दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक 11) के विज्ञापन के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक नया अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता को संविदा के आधार पर 29.11.2016 के आदेश द्वारा काउंसलर (एनसीडी) के पद के लिए चुना गया था। उन्होंने प्रतिवादियों के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीएनएम के रूप में भी काम किया।

2.1. प्रतिवादियों ने 15.11.2022 के आदेश (अनुलग्नक 4) द्वारा नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल भर्ती, 2022 से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए।

2.2. प्रतिवादियों द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार नर्सिंग अधिकारी/फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए 16.11.2022 (अनुलग्नक 5) का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन के बाद, याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और अपने अनुभव को मान्यता देने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने काउंसलर (एनसीडी) के रूप में काम किया था। प्रतिवादी प्राधिकारी ने उनके

कार्य के संबंध में दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक 6) को एक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। विज्ञापन के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में विज्ञापित पद के समान भूमिकाओं में काम करने वाले उम्मीदवार दिनांक 15.11.2022 के आदेश के अनुसार बोनस अंकों के लिए पात्र हैं।

2.3. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी है, और प्रतिवादियों ने 07.01.2023 तक जमा करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, प्रतिवादी सीएम और एचओ ने प्रतिवादी-राज्य के लिए काउंसलर (एनसीडी) के रूप में उनके काम के बावजूद याचिकाकर्ता को आवश्यक प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। जब अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 326/2023 दायर की, जिसका निर्णय 05.01.2023 को लाला राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 19677/2022) मामले के अनुसार हुआ। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों को यह अनुरोध करते हुए आदेश प्रस्तुत किया कि उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए क्योंकि उसने प्रतिवादी विभाग के लिए काम किया था।

2.4. इस बीच, प्रतिवादियों ने पहले की चयन प्रक्रिया को रोक दिया और एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक 11) को एक नया विज्ञापन जारी किया। प्रतिवादियों ने दिनांक 23.05.2023 (अनुलग्नक 12) को एक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी विभाग के लिए 07.12.2016 से 23.05.2023 तक काम किया।

2.5. प्रमाण पत्र जारी होने के बाद दिनांक 23.05.2023 को प्रतिवादी संयुक्त

निदेशक ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। पैरा संख्या 6.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने काउंसलिंग और सीएचसी प्रभारी के अधीन नर्सिंग काउंसलर के रूप में काम किया, लेकिन पैरा संख्या 6.2 में कहा गया कि उसने विज्ञापन में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार काम नहीं किया है।

2.6. नई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, प्रतिवादी नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया जारी रख रहे हैं, लेकिन शर्त संख्या 6.2 के कारण याचिकाकर्ता के 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से एक नया अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और जीएनएम/नर्सिंग अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों की गणना/विचार करने के लिए संपर्क किया और अनुरोध किया कि उनके अनुभव को नए विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार माना जाए। याचिकाकर्ता का अनुरोध पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण यह रिट याचिका दायर की गई।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा है कि उसे काउंसलर (एनसीडी) के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने नर्सिंग अधिकारी के समान ही कार्य किए। हालांकि, अनुभव प्रमाण पत्र की मद संख्या 6.2 में गलत तरीके से कहा गया है कि किया गया कार्य समान नहीं है। विज्ञापन की शर्त (ज) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को नर्सिंग अधिकारी के समान ही कार्य करने चाहिए।

3.1. याचिकाकर्ता को काउंसलर (एनसीडी) के पद पर नियुक्त किया गया था और नर्सिंग अधिकारी के रूप में किया गया कोई भी रुक-रुक कर किया गया कार्य उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समानता का दावा करने का हकदार नहीं बनाता है जिसने लगातार और गहनता से नर्सिंग अधिकारी के कर्तव्यों का

पालन किया है। याचिकाकर्ता को रुक-रुक कर किए जाने वाले कार्य का लाभ प्रदान करने से उन लोगों को नुकसान होगा जिन्हें अनुबंध के तहत नर्स ग्रेड के रूप में नियुक्त किया गया है और जिन्होंने लगातार केवल उसी भूमिका में कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान, जयपुर के निदेशक द्वारा सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ता के विभाग ने अनुलग्नक-15 के अनुसार एक प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग काउंसलर के रूप में काम किया और नर्सिंग काउंसलर के रूप में कर्तव्यों का पालन किया, न कि नर्सिंग अधिकारी के रूप में। अनुलग्नक-15 में प्रतिवादी संख्या 2 से इस विशिष्ट प्रतिक्रिया को देखते हुए, मेरा मानना है कि प्रतिवादियों का रुख उचित है। याचिकाकर्ता का कार्य अनुभव संबंधित स्ट्रीम से असंबंधित पाया गया, और इसलिए, बोनस अंकों के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना उचित था। लिखित याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

6. विदा लेने से पहले, मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "अनुभव" की परिभाषा के अनुसार, इसमें किसी कौशल या ज्ञान के क्षेत्र को सीखने में बिताया गया समय और महीनों या वर्षों तक वास्तविक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की गई बेहतर समझ या महारत शामिल है। इस संदर्भ में,

यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि व्यक्ति को कार्य अनुभव प्राप्त करना चाहिए तथा विशिष्ट संबंधित क्षेत्र या प्रासंगिक विषय में वास्तविक अभ्यास करना चाहिए।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डी.बी.एस.ए.डब्लू. संख्या 26/2023: सुखा राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, दिनांक 12.01.2023 को निर्णीत, में दिए गए निर्णय पर सही रूप से भरोसा करते हैं।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. खारिज।

10. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।